email:aayukt.ele@gmail.com Phone:01512226551

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्था/एफ-1/नोशनल/2020 दिनांक : 08.07.2020

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
समस्त मण्डल

अति आवश्यक

विषय : तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 व 2013 के अन्तर्गत संशोधन एवं पुनः संशोधित परिणाम में चयनोपरान्त नियुक्त शिक्षकों द्वारा प्रथम परिणाम में नियुक्त शिक्षकों के समान नोशनल परिलाभ हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में पारित निर्णयों के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.02.20, 02.03.20, 04.03.20, 18.03.20, 05.06.2020 तथा 12.06.20

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा समस्त जिशिअ/ सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देशित किया गया था कि अपने जिले में स्वीकृत नोशनल लाभ के प्रकरणों की सूची तैयार कर संयुक्त निदेशक कार्यालय से परीक्षण करवाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें तथा परीक्षणोपरांत समेकित प्रमाणपत्र जारी करावें ।

इस सम्बन्ध में लेख है कि बारम्बार पत्र एवं दूरभाष पर आपको निवेदन करने के बाद भी आप द्वारा परीक्षणोपरांत सूचियां प्रेषित नहीं की हैं । पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ जिशिअ कार्यालयों से सूचियों संकलित करावें तथा उनका परीक्षण राजस्थान सेवा नियमों के परिप्रेक्ष्य में करावें तथा यदि किसी कार्मिक को सेवा नियमों के विपरीत नोशनल लाभ दे दिया गया है तो उसका अंकन करावें **विशेष रूप से ऐसे कार्मिक जिन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण हुए बिना ही वास्तविक लाभ तथा एरियर का भुगतान कर दिया गया है,** तथा सम्बन्धित जिशिअ से उसका नियमानुसार संशोधन करावें । सूचना निम्नलिखित प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी तथा हस्ताक्षरित प्रति 7 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करावें । जिशिअ (मु) प्राशि सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत सूचियों के अनुसार कार्यवाही नियमान्तर्गत सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी करें कि परीक्षणोपरान्त सही पाया गया ।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम, पद तथा पदस्थापन स्थान	नियुक्ति तिथि	स्थायीकरण तिथि	याचिका संख्या मय निर्णय दिनांक	नोशनल लाभ व वरिष्ठता देने की दिनांक	वास्तविक लाभ देने का दिनांक	क्या एरियर का भुगतान हो गया है? यदि हाँ तो भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

www.rajteachers.com

उपनिदेशक(पंराज)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित :

1- जिला शिक्षा अधिकारी (मु) प्राशि समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करावें एवं समय पर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

8/07/2020
उपनिदेशक(पंराज)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान